सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (र

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 11/2015

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

श्री निरंजन गोयल पुत्र श्री जानकीलाल गोयल जाति महाजन उम्र 48 वर्ष (निर्माता एवं मालिक) हायर सेकेण्ड्री स्कूल के सामने, कोटा रोड़ बारां। मेसर्स जानकीलाल एण्ड कम्पनी, मेलखेड़ी रोड़ बारां

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :— 1— श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2— श्री घनश्याम अग्रवाल एडवोकेट (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 21.02.2018

आवेदक द्वारा प्रकरण इस आशय का पेश किया कि श्री प्रेमचन्द जैन तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोन कोटा वर्तमान में निलम्बित एवं पदस्थापन जोन भरतपुर दिनांक 10.10.2013 को समय 11.00 ए.एम. पर **मेसर्स जानकीलाल एण्ड कम्पनी, मेलखेड़ी रोड़ बारां** पर पहुंचा। वहां पर **श्री निरंजन गोयल पुत्र श्री जानकीलाल गोयल** निर्माता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे कि उपस्थिति में निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (खुला)** 80 कि. ग्रा. मात्रा में नीचे फर्श पर विक्रय हेतु रखा हुआ था। आवेदक को **धनिया पाउडर (खुला)** में मिलावट का शक होने पर खाद्य वस्तु **धनिया पाउडर (खुला)** 2 कि.ग्रा. साफ सुखे खाली बर्तन में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता **श्री निरंजन गोयल पुत्र श्री जानकीलाल गोयल** को रू. 140/— नकद देकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि श्री जैन द्वारा मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

श्री जैन ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए खाद्य वस्तु **धनिया पाउडर (खुला)** 2 कि.गा. को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक के जारों में बराबर बराबर भरकर प्रत्येक जार को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के लेबल चिपकाये। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। श्री जैन ने फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़ा, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये। फर्द रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

श्री जैन ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर श्री रघुनाथ मीणा (वार्ड बॉय) जोन कोटा द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

श्री जैन ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

श्री जैन को डी. ओ. एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां के पत्र क्रमांक सामान्य/2013/1025 दि.14.11.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एफएसएसएल/कोटा/2013/310दि.23.10.2013 के अनुसार धनिया विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य वस्तु **धनिया पाडडर (खुला) मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि मेलखेड़ी रोड़ पर प्रार्थी की फेक्ट्री है और फेक्ट्री वा माल पिसता है व दूसरे गोदाम में पेकिंग होती है जांच अधिकारी द्वारा जो धनिया पाउडर का सेम्पल लिया गया है वह प्रार्थी की फेक्ट्री पर जहां माल पिस रहा था वहां से लिया गया है उसी से 20 फीट की दूरी पर प्रार्थी का गोदाम है जहां जाकर माल पेकिंग होता है। फेक्ट्री पर किसी प्रकार का विक्रय नही होता है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी । दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य वस्तु **धनिया पाउडर (खुला)** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे मिथ्याछाप **(Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जांच अधिकारी द्वारा धनिया पाउडर का सेम्पल फेक्ट्री से लिया गया है जहां से माल पेकिंग कर विक्रय किया जाता है वहां से नहीं लिया। फेक्ट्री में स्थान कम होने से पेकिंग एवं विक्रय का कार्य 20 फीट दूरी पर स्थित विक्रेता से गोदाम से किया जाता है। फेक्ट्री से सेम्पल लिये जाने के कारण ही जांच रिपोर्ट में **धनिया पाउडर मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही निराधार होने से निरस्त फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, खाद्य वस्तु **धनिया पाउडर** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी को कुल 10000/– अक्षरे दस हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवा कर चालान प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)